न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर, जिला नागौर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

पंचायत निगरानी संख्या : 54 / 2020

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
जुगलकिशोर राव पुत्र सुरजकरण जाति राव ब्राह्मण निवासी खिंवसर जिला नागौर।		1 सुनील उपाध्याय पुत्र हरिराम जाति ब्राह्मण निवासी वार्ड नम्बर 11 खींवसर तहसील खींवसर जिला नागौर। 2 ग्राम पंचायत खींवसर जरिये सरपंच / सचिव, ग्राम पंचायत खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति–

1 श्री ठाकुर प्रसाद राठी अधिवक्ता, प्रार्थी की ओर से

2 श्री शफीक खिलजी, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।

3 श्री कुन्दन सिंह आचीणा, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायतराज अधिनियम 1994

दिनांक 17.01.2025

निर्णय

1– प्रकरण इस प्रकार है कि प्रस्तुत निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या 325 / 99 जिसके द्वारा पटटा विलेख संख्या 224 दिनांक 30.12.99 को निर्णय दिनांक 30.12.1999 जारी किया गया, से असंतुष्ट होकर दिनांक 01.10.2020 को प्रस्तुत की गई। प्रार्थी की निगरानी दिनांक 02.11.2020 को दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से श्री शफीक खिलजी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 02 की ओर से श्री कुन्दन सिंह आचीणा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थी ने अपनी निगरानी के समर्थन में ग्राम पंचायत खींवसर की पत्रावली संख्या 325 / 99 की फोटोप्रति तथा अप्रार्थी संख्या 01 ने शपथ पत्र की फोटोप्रति, पट्टा विलेख दिनांक 30.08.24 की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

2– उभयपक्ष की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निगरानी में वर्णित तथ्यों को दुहराते हुए दलील दी कि –

2(1)– प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण विधि के सुस्थापित सिद्वान्तों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने के कारण प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है।

2(2)–उक्त प्रकरण मे पटटा जारी करने के संबंध में जो आवेदन पत्र प्रस्तुत किया था उक्त आवेदन पत्र राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 145 के अनुसार प्रस्तुत नहीं हुआ है। उक्त आवेदन पत्र के साथ में स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे रूपये 25 व नक्शा तैयार करने के लिए रूपये 25 का शुल्क पेश नहीं हुआ है इसलिए उक्त आवेदन पत्र नियम 145 के अनुसार विधिवत रूप से पेश किया हुआ आवेदन पत्र नहीं होने के कारण इस आधार पर उक्त प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(3)– उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने के पश्चात राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार सचिव ऐसे आवेदन पत्र को प्रारूप 21 में एक रजिस्टर संधारित करेगा और फाइल खोलेगा। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा ऐसा कोई न तो रजिस्टर संधारित किया गया है एवं न ही पत्रावली खोली गई है। इसलिए उक्त नियम की पालना नहीं होने के कारण प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(4)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार पत्रावली सचिव द्वारा स्थल निरीक्षण के लिए तीन पंचों को नियुक्त कर कमेटी बनायी जाती है। हस्तगत प्रकरण में सचिव द्वारा कोई तीन पंचों की कमेटी नहीं बनायी गई है जहां तक सरपंच द्वारा तीन पंचों की नियुक्ति बाबत बताया गया है उसमें किसी भी पंच का कोई नाम नहीं लिखा गया है ऐसी स्थिति में उक्त स्थल निरीक्षण कमेटी में तीन पंच कौन कौन होगे इस बारे में कोई उल्लेख नहीं है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(5)– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 146 के अनुसार स्थल निरीक्षण हेतु पंचो की नियुक्ति अन्तिम विनिश्चय व नोटिस का जारी और प्रकाशित किये जाने से पहले होती है हस्तगत प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय किये जाने से पहले होती है हस्तगत प्रकरण में अन्तिम विनिश्चय तो हुआ ही नहीं है यहां तब आपति जारी करने के पश्चात स्थल निरीक्षण हेतु पंचो को नियुक्त करने की बात आदेशिका में अंकित है जो पूर्णतया गलत है। इस प्रकार से उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण हेतु जो पंचो की नियुक्ति की गई है वह पूर्णतया गलत अनुचित एवं अवैध रूप से की गई है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

17/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

2(6)–उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण हेतु पंचान द्वारा जिस नियम के तहत स्थल निरीक्षण करना बताया गया है वह नियम 258 राजस्थान पंचायती एवं न्याय पंचायत सामान्य नियम 1961 के अन्तर्गत करना बताया गया है जबकि उक्त नियम तो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 प्रभाव में आने के पश्चात विलोपित कर दिये गये
थे। ऐसी स्थिति में उक्त नियमों के अन्तर्गत स्थल निरीक्षण करना पूर्णतया गलत है। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(7)– उक्त प्रकरण में स्थल निरीक्षण के पश्चात पत्रावली को राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 के नियम 147 के अनुसार पहले पंचायत की बैठक में अन्तिम विनिश्च हेतु पत्रावली रखी जाती है तत्पश्चात आगामी कार्यवाही की जाती है। हस्तगत प्रकरण में उक्त पत्रावली को अन्तिम विनिश्चय हेतु कभी भी ग्राम पंचायत की बैठक में नहीं रखा गया है इस प्रकार से उक्त नियम की कोई पालना नहीं हुई है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(8)–राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 147 के अनुसार अन्तिम विनिश्चय का प्रस्ताव पारित होने के पश्चात नियम 148 के अनुसार नोटिस जारी किये जाते है। हस्तगत प्रकरण में जो नोटिस जारी करने का आदेश हुआ है वह अन्तम विनिश्चय पारित होने से पूर्व ही किया गया है इसके अतिरिक्त जो नोटिस जारी हुए है वे नोटिस भी नियम 148 के अनुसार जारी नहीं हुए है न ही मौतबिरान की उपस्थिति में कोई चस्पानगी की कार्यवाही हुई है इसलिए उक्त नियम की कोई पालना नहीं हुई है इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(9)– उक्त प्रकरण में पटटा जारी करने के संबंध में जो प्रस्ताव लिया जाना बताया गया है वह भी विधि अनुसार नहीं होने के कारण उक्त प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(10)–उक्त प्रकरण में सम्पूर्ण कार्यवाही सरपंच द्वारा की गई है ग्राम सचिव के कहीं पर भी कोई हस्ताक्षर नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही प्रारम्भतः शून्य एवं अवैध कार्यवाही होने के कारण इस आधार पर आदेश एवं प्रस्ताव जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(11)– उक्त प्रकरण में जो पटटा जारी हुआ है उसमें ग्राम सेवक एवं सचिव के हस्ताक्षर के ऊपर मांगीलाल नामक व्यक्ति के हस्ताक्षर अंकित है जबकि उक्त मांगीलाल कभी भी ग्राम पंचायत खींवसर में ग्राम सेवक एवं सचिव के पद पर कार्यरत नहीं था न ही उक्त व्यक्ति कभी राजकीय सेवारत व्यक्ति रहा है। इस प्रकार से उक्त पत्रावली में मांगीलाल के जो हस्ताक्षर करवाकर उसे ग्राम सेवक बताया गया है वह पूर्णतया गलत है क्योकि इस नाम का व्यक्ति न तो ग्राम सेवक था और न ही सचिव था। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(12)– उक्त प्रकरण में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के किसी भी नियम की कोई पालना नहीं हुई है जबकि उक्त नियम आज्ञापक प्रकृति के है जिनकी पालना किये बिना कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इस आधार पर प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(13)– उक्त प्रकरण में पटटा जारी करने से पूर्व प्रार्थी एवं उसके गवाहान के जो बयान लिये गये है वह सारे साईकिलो स्टाइल फार्म पर लिये गये बयान है जिनका विधि की नजरो में कोई महत्व नहीं है। यहां तक कि जिन गवाहान के बयान लेने बताये गये है उनकी तो वल्दीयत ही उपर खाली पडी है तथा इस प्रकार से एक साथ बयान लिये भी नहीं जा सकते। इस प्रकार से प्रस्ताव एवं आदेश जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है।

2(14)– उक्त प्रकरण में खुली पडी भूमि का 200 रूपये में पटटा जारी करके ग्राम पंचायत खींवसर को लाखो रूपयों की राजस्व का नुकसान पहुंचाया है इस आधार पर आदेश एवं प्रस्ताव जैर पुनरीक्षण निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपने कथन के समर्थन में डीएनजे (राज) 2015 (2) पेज नम्बर 595, डीएनजे (राज) 2005 (2) पेज नम्बर 963, डीएनजे (राज) 2010 (3) पेज नम्बर 1147, डीएनजे (राज) 2013 (1) पेज नम्बर 177 तथा डीएनजे (राज) 2009 (2) पेज नम्बर 982 नजीरे पेश की।

3– अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उक्त अप्राथी संख्या 01 के पिता द्वारा पटटा जारी करवाने हेतु विधिवत ग्राम पंचायत में आवेदन किया गया है। ग्राम पंचायत के 03 पंचों द्वारा विधिवत निरीक्षण कर रिपोर्ट पंचायत में प्रस्तुत की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत नोटिस चस्पा की कार्यवाही की गई तथा दो मौतबिरान के हस्ताक्षर भी नोटिस पर करवाये गये। अप्रार्थी संख्या 01 के पिता हरिराम के बयान विधिवत लिये गये। ग्राम पंचायत ने राजस्थान पंचायती राज नियमों की पालना करते हुए उक्त पटटा जारी किया गया है, अतः प्रार्थी की निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

17/11/15

अपर कलक्टर, नागौर

4– पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात् का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा निगरानी राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खींवसर द्वारा पत्रावली संख्या 325/99 जिसके द्वारा पटटा विलेख संख्या 224 दिनांक 30.12.99 को निर्णय दिनांक 30.12.1999 को निरस्त किये जाने को लेकर प्रस्तुत की गई। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 145 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 01 के पिता द्वारा विधिवत ग्राम पंचायत में पट्टा बनाने हेतु आवेदन किया जाना प्रतीत होता है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 146 के अनुसार उक्त पट्टा बनाते समय ग्राम पंचायत तीन पंचों की नियुक्ति की गई है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 148 के अनुसार ग्राम पंचायत ने विधिवत नोटिस जारी किया गया है तथा नोटिस की प्रति पर दो गवाहों के हस्ताक्षर भी है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 157 (ख) के अनुसार 200/– जमा कर पटटा जारी करने का विनिश्चय किया गया है तथा पत्रावली का भी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार संधारण किया गया है। इस प्रकार प्रतीत होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पट्टा जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में आदेश जैर निगरानी में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

5– उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से खारिज की जाती है।

6– निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/1/17

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर
अपर कलक्टर, नागौर